पत्र सं०–6 एस०एस०(6)76 / 2025– 569 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–...03 / ...02... / 2026.

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– ****आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **राज्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रुपये 812.00 लाख (रुपये आठ करोड़ बारह लाख) मात्र की लागत व्यय पर नालन्दा डेयरी में 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के दही प्लांट तथा प्रोड्क्ट बिल्डिंग की स्थापना की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त राज्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रुपये 812.00 लाख (रुपये आठ करोड़ बारह लाख) मात्र की लागत व्यय पर नालन्दा डेयरी में 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के दही प्लांट तथा प्रोड्क्ट बिल्डिंग की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. इस योजना के तहत कॉम्फेड, पटना द्वारा नालन्दा डेयरी में 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के दही प्लांट तथा प्रोड्क्ट बिल्डिंग की स्थापना की जानी है। वर्त्तमान समय में नालन्दा डेयरी में मुख्यतः तरल दूध की आपूर्त्ति ही की जाती है। उक्त दही प्लांट तथा प्रोड्क्ट बिल्डिंग की स्थापना से उपभोक्ताओं में दही की बढ़ी हुयी माँग को देखते हुये दूध की अतिरिक्त खपत सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

3. नालन्दा डेयरी में मूल्य अभी भी संवर्धित उत्पादों जैसी दही, लस्सी, पनीर, मिठाई आदि का विस्तार अपेक्षित है, जिसके संदर्भ में नालन्दा डेयरी में 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का आधुनिक एवं प्रोड्क्ट बिल्डिंग की स्थापना का कॉम्फेड, पटना के द्वारा किया जाना है।

4. इस योजना का मुख्य उद्देश्य दही संयंत्र का निर्माण तथा प्रोड्क्ट बिल्डिंग की स्थापना किया जाना है, जिससे बाजार में दही की माँग को पूरा किया जा सकेगा, साथ ही उपउत्पाद लस्सी, छाछ, पनीर, मिठाई का उत्पादन से दूध के खपत में वृद्धि होगी तथा डेयरी प्लांट के आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

5. उपभोक्ताओं की माँग को ध्यान में रखते हुए डेयरी उत्पादों के लिए आधुनिक दही प्लांट एवं प्रोड्क्ट बिल्डिंग की स्थापना करने से उच्च गुणवत्ता वाले दही का उत्पादन एवं विपणन हो सकेगा, जिससे दुग्ध उत्पादकों को स्थायी बाजार मिलेगा एवं किसानों की आय में वृद्धि होगी।

6. इस योजना का क्रियान्वयन कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जायेगा।

7. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक, गव्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

8. इस योजना अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से स्वीकृत राशि की निकासी कर निदेशक, गव्य द्वारा एकमुस्त कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित किया जायेगा एवं उक्त राशि पी०एल० खाता के माध्यम से कॉम्फेड, पटना द्वारा व्यय किया जायेगा।

9. मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 –डेरी विकास परियोजनाएँ, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0115 –गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, विपत्र कोड 02–2404001020115, विषय शीर्ष–0115.31.05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से बजट उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

10. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

11. दिनांक–15.12.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका–6 एस०एस० (6)76/2025 के पृष्ठ 40–39/प०.

12. दिनांक–26.12.2025 को सम्पन्न स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका–6 एस०एस०(6) 76/2025 के पृष्ठ 49–48/प०.

13. चूँकि यह राज्य योजना के तहत एक नई योजना है। योजना का लागत मूल्य रुपये 5.00 करोड़ से अधिक एवं रुपये 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)76/2025 के पृष्ठ–09/टि० दिनांक–20.01.2026.

14. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०–6 एस०एस०(6)76/2025– 08/टि० तथा डायरी सं०–शून्य, दिनांक–29.12.2025.

15. वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(गीता सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)76/2025– 569 /पटना–15, दिनांक–03/02/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)76/2025– 569 /पटना–15, दिनांक–03/02/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)76/2025– 569 /पटना–15, दिनांक–03/02/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना/निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)76/2025– 569 /पटना–15, दिनांक–03/02/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)76/2025– 569 /पटना–15, दिनांक–03/02/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)76/2025–569 /पटना–15, दिनांक–03/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)76/2025–569 /पटना–15, दिनांक–03/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

व्यय विवरणी

राज्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रुपये 812.00 लाख (रुपये आठ करोड़ बारह लाख) मात्र की लागत व्यय पर नालन्दा डेयरी 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के दही प्लांट तथा प्रोड्क्ट बिल्डिंग की स्थापना की स्वीकृति हेतु व्यय विवरणी :–

(राशि लाख में)

विपत्र कोड	योजना विवरणी	इकाई	वित्तीय वर्ष 2025–26	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
विपत्र कोड 02–2404001020115, विषय शीर्ष–0115.31.05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद	नालन्दा डेयरी 10 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के दही प्लांट	1	428.00	निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना / प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
	प्रोड्क्ट बिल्डिंग	1	384.00		
		कुल :–	**812.00**		

(रुपये आठ करोड़ बारह लाख)

569
03/02/26

3/2/26

सरकार के विशेष सचिव